

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

5-12-19

आज्ञा पत्र प्रस्तुत करीब अर्धीलाट / रेस्पोंड उपस्थित।  
 दिनांक 5-12-19 पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 5-12-19 को पेश हो।



26-2-19

पत्रावली प्रस्तुत करीब अर्धीलाट / रेस्पोंड उपस्थित।  
 न्यायिक कार्य स्थिति के अनुसार दिनांक 26-2-19 को पेश हो।

3-4-19

आज्ञा पत्र प्रस्तुत करीब अर्धीलाट / रेस्पोंड उपस्थित।  
 दिनांक 3-4-19 पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 3-4-19 को पेश हो।

3-7-19

आज्ञा पत्र प्रस्तुत करीब अर्धीलाट / रेस्पोंड उपस्थित।  
 दिनांक 3-7-19 पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 3-7-19 को पेश हो।

4-9-19

आज्ञा पत्र प्रस्तुत करीब अर्धीलाट / रेस्पोंड उपस्थित।  
 दिनांक 4-9-19 पर है। अतः पत्रावली पूर्ण आज्ञानुसार दिनांक 4-9-19 को पेश हो।

23-1-19

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति मन्वीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी मुद्दा नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।



प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर